





16/3/18 वकील प्रती उपाय (अप) द्वारा 12.7.13 को  
 मागील के अनुप्रा-पत्र है उपाय मागील  
 पूर्व से है उगी है उनके 12 फरवरी 18 को  
 फरवरी 2018 को भी जारी है, मुसल  
 आते 6 एन का रिजक 24.5.18 के  
 पेश है   
 (S. S. S.)

27/13

24/5/18 प्रकारण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित लोक  
 अदालत/क्रिम कोर्ट में रखने योग्य पाया जाता है। अतः पत्रावली  
 लोक अदालत में पंचायत सुश्रमण...   
 पर दिनांक 25/6/18 को पत्र हो।  
  
 उपखण्ड अधिकारी  
 कठुपर (अलवर)

25/6/18 जमानत के कोर्ट में जमा हुआ वकील प्रती  
 उपाय (अप) बरहस 210 मुनी 015/1 जमानत  
 का इवलेकन रिमा 015/1 668 वकील प्रती  
 पर गहर रिमा 015/1 अपन 662 का के  
 न सुविधा का सौजन्य एवं अनुप्रा  
 क्षति उपाय के पत्र के कला प्रतीलेका  
 है 31.7.13 को उपाय स्वीकृत किया गया  
 तब दिनांक 12.7.13 को उगी अलवर  
 निषेधा का न कहरला 5 का लोड  
 (confirm) किन जाता है। जमानत  
 केवल शुभ लोक रिजक लेकर ले (जमानत)  
  
 S. S. S.